Laboratory & Sample Analysis
(6)

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

FOOD SAFETY AND STANDARDS AUTHORITY OF INDIA
LIBRARY AND RESOURCE CENTRE

सं. 157] नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 1, 2011/श्रावण 10, 1933
No. 157] NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 1, 2011/SRAVANA 10, 1933

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
(भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 अगस्त, 2011

फा.सं. 2-15015/30/2010 खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (2006 का 34) की धारा 20 के साथ पठित धारा 92 की उप-धारा (2) के खण्ड (थ) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, खाद्य सुरक्षा एवं मानक विनियम, जहां तक वे खाद्य सुरक्षा और मानक (प्रयोगशाला और नमूना विश्लेषण) विनियमावली, 2011 से संबंधित हैं, बनाने का प्रस्ताव करता है, और;

विनियमों का प्रारूप, भारत के राजपत्र के असाधारण भाग 3, खण्ड 4 में तारीख 20 अक्तूबर, 2010 को पृष्ठ 1 से 776 में समेकित रूप में प्रकाशित किया गया था, जिसमें उस तारीख, जिसको उक्त अधिसूचना वाले राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध कराई गई थीं, से 30 दिन की अवधि के अवसान से पूर्व, उससे प्रभावित होने की संभावना वाले सभी व्यक्तियों से आपत्तियां और सुझाव आमंत्रित किए गए थे;

और राजपत्र की प्रतियां 21 अक्तूबर, 2010 को जनता को उपलब्ध कराई गई थीं;

और उक्त प्रारूप विनियमों पर विनिर्धारित अवधि के अंदर पणधारियों से आक्षेप और सुझावों पर खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा विचार कर लिया गया है और उन्हें अंतिम रूप दे दिया गया है।

इसलिए अब भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्,–

खाद्य सुरक्षा और मानक (प्रयोगशाला और नमूना विश्लेषण)

विनियम, 2011

अध्याय 1

साधारण

भाग 1.1 : नाम और प्रारंभ

विनियम 1.1.1 : इन विनियमों का संक्षिप्त नाम खाद्य सुरक्षा और मानक (प्रयोगशाला और नमूना विश्लेषण) विनियम, 2011 है।

विनियम 1.1.2 : ये विनियम 5 अगस्त, 2011 को या इसके पश्चात प्रवृत्त होंगे।

1.2 : परिभाषाएं-

1.2.1 इन विनियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,

1. ''अधिसूचित प्रयोगशाला'' से अधिनियम की धारा 43 की उप-धारा (1) और (2) के अंतर्गत खाद्य प्राधिकरण द्वारा अधिसूचित प्रयोगशालाओं में से कोई प्रयोगशाला अभिप्रेत है।

2. ''निर्देश प्रयोगशाला'' से अधिनियम की धारा 43 की उप-धारा (2) के अंतर्गत अधिसूचना द्वारा खाद्य प्राधिकरण द्वारा स्थापित और/या मान्यताप्राप्त प्रयोगशालाओं में से कोई प्रयोगशाला अभिप्रेत है।

अध्याय 2

प्रयोगशाला और नमूनों का विश्लेषण

2.1 : आयात के लिए अधिसूचित प्रयोगशालाएं

2.1.1. किसी आयातीत पदार्थ का नमूना विश्लेषण के लिए प्राधिकृत अधिकारी द्वारा निम्नलिखित उन अधिसूचित प्रयोगशालाओं या खाद्य प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किसी अन्य प्रयोगशाला के विश्लेषक को भेजा जाएगा, जिसकी उस क्षेत्र पर अधिकारिता है जिसमें नमूना लिया गया था ।

क्र.सं.	प्रयोगशाला का नाम	स्थानीय क्षेत्र
1	2	3
1.	केंद्रीय खाद्य प्रयोगशाला, कोलकाता	निम्नलिखित संघ राज्यक्षेत्रों/ राज्यों के सभी समुद्री पत्तन/ विमान पत्तन/ अंतदेशीय कंटेनर डिपो - (i) अंडमान और निकोबार द्वीप (ii) आंध्र प्रदेश (iii) अरुणाचल प्रदेश (iv) असम, (v) बिहार (vi) मणिपुर (vii) मेघालय (viii) मिजोरम (ix) नागालैंड (x) उड़ीसा (xi) सिक्किम (xii) त्रिपुरा (xiii) पश्चिम बंगाल और (xiv) झारखंड निम्नलिखित राज्यों की अंतरराष्ट्रीय सीमा- (i) अरुणाचल प्रदेश (ii) असम (iii) बिहार (iv) मणिपुर (v) मेघालय (vi) मिजोरम (vii) नागालैंड (viii) सिक्किम (ix) त्रिपुरा (x) पश्चिम बंगाल
2.	केंद्रीय खाद्य प्रयोगशाला, गाजियाबाद	निम्नलिखित संघ राज्यक्षेत्रों / राज्यों के सभी विमान पत्तन/अंतरदेशीय कंटेनर डिपो - (i) चंडीगढ़, (ii) दिल्ली (iii) हरियाणा (iv) हिमाचल प्रदेश (v) जम्मू और कश्मीर (vi) मध्य प्रदेश (vii) पंजाब (viii) राजस्थान (ix) उत्तर प्रदेश (x) छत्तीसगढ़ (xi) उत्तराखंड निम्नलिखित राज्यों की सभी अंतरराष्ट्रीय सीमाएं - (i) हिमाचल प्रदेश (ii) राजस्थान (iii) जम्मू और कश्मीर (iv) पंजाब (v) उत्तर प्रदेश और (vi) उत्तराखंड

1	2	3
3.	केंद्रीय खाद्य प्रयोगशाला, मैसूर	निम्नलिखित संघ राज्यक्षेत्रों/राज्यों में विमान पत्तन/समुद्री पत्तन / अंतरदेशीय कंटेनर डिपो - (i) कर्नाटक (ii) केरल (iii) लक्षद्वीप (iv) पांडिचेरी और (v) तमिलनाडु
4.	केंद्रीय खाद्य प्रयोगशाला, पुणे	निम्नलिखित संघ राज्यक्षेत्रों / राज्यों के सभी विमान पत्तन/अंतरदेशीय कंटेनर डिपो - (i) दादर एवं नगर हवेली, (ii) दमन और द्वीव (iii) गोवा, (iv) गुजरात और (v) महाराष्ट्र गुजरात राज्य सभी अंतराष्ट्रीय सीमाएं

2.2 निर्देश प्रयोगशाला

2.2.1 : कृत्य - अधिनियम द्वारा प्रयोगशाला को सौंपे गए कृत्यों के अतिरिक्त प्रयोगशाला निम्नलिखित कृत्यों का निष्पादन करेगी, अर्थात्-

(1) केंद्रीय सरकार द्वारा इस प्रयोजन के लिए प्राधिकृत किसी अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा भेजे गए खाद्य नमूनों का विश्लेषण और संबंधित प्राधिकारियों को विश्लेषण प्रमाणपत्रों को प्रस्तुत करना;

(2) किसी खाद्य पदार्थ के मानक नियत करने के प्रयोजन के लिए अन्वेषण;

(3) विभिन्न राज्यों में लोक विश्लेषकों की प्रयोगशालाओं और ऐसी अन्य प्रयोगशालाओं और संस्थाओं के सहयोग से, जिनको केंद्रीय सरकार इस निमित्त विश्लेषण की रीति के मानकीकरण के लिए अनुमोदित करे, अन्वेषण;

(4) यह सुनिश्चित करना कि प्रयोगशाला द्वारा खाद्य पदार्थों के हथालन/परीक्षण के लिए अधिकथित किए गए वैज्ञानिक नयाचार (प्राटॉकाल) का पालन किया जाए;

(5) प्रयोगशाला के प्रचालन में परिशुद्धता, विश्वसनीयता और भरोसे के उच्च स्तरमानों को बनाए रखना तथा प्रत्यायन और विश्वसनीयता के अपेक्षित स्तरों की प्राप्ति और बनाए रखना;

(6) यह सुनिश्चित करने के लिए क्रियाविधि अधिकथित करना कि प्रयोगशाला के क्रामिक उच्च वृत्तिक स्तरमानों और अनुशासन का पालन करें य

(7) अन्य ऐसी शर्तें, जो प्राधिकारी द्वारा रेफरल प्रयोगशालाओं के लिए अधिकथित की जाएं;

(8) खाद्य प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट राज्यों में खाद्य विश्लेषकों, प्रयोगशाला के क्रामिकों के लिए वृत्तिक प्रशिक्षण, कर्मशालाओं और सेमीनारों के आयोजन द्वारा कार्य क्षमता को बढ़ाना ।

2.2.2 : निर्देश प्रयोगशाला के राज्य/संघ राज्यक्षेत्र/ स्थानीय क्षेत्र

1. निम्न सारणी 1 के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट प्रयोगशाला, उसके स्तम्भ (2) की तत्स्थानी प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट स्थानीय क्षेत्रों की बाबत अधिनियम या इन विनियमों द्वारा उसे सौंपे गए कृत्य करेगी ।

सारणी-1

निर्देश प्रयोगशाला का नाम		स्थानीय क्षेत्र/राज्य/ संघ राज्यक्षेत्र
1.	निर्देश खाद्य प्रयोगशाला, कोलकाता- 7100016	अरुणाचल प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा, सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तराखंड और अंडमान और निकोबार द्वीप संघ राज्यक्षेत्र
2.	निर्देश खाद्य प्रयोगशाला, मैसूर - 570013	गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, उत्तर प्रदेश और चंडीगढ़ संघ राज्यक्षेत्र ।
3.	निर्देश खाद्य प्रयोगशाला, पुणे- 411001	आंध्र प्रदेश, दिल्ली, जम्मू और कश्मीर, कर्नाटक, केरल, राजस्थान और तमिलनाडु ।
4.	निर्देश खाद्य प्रयोगशाला, गाजियाबाद	बिहार, गोवा, झारखंड, मध्यप्रदेश, पश्चिम बंगाल, दादर और नगर हवेली, दमन और द्वीव और पुडुचेरी संघ राज्यक्षेत्र ।

2. निर्देश खाद्य प्रयोगशाला द्वारा दिया जाने वाला विश्लेषण प्रमाणपत्र प्ररूप 'ग', के अनुसार होगा ।

2.3 नमूने के लिए प्रक्रिया

2.3.1 : लोक विश्लेषक को भेजे जाने के लिए नमूने की मात्रा : विश्लेषण के लिए विश्लेषक/निदेशक को भेजे जाने वाले खाद्य के नमूने की मात्रा वह होगी जो नीचे सारणी में विनिर्दिष्ट है :-

सारणी

क्र.सं.	खाद्य वस्तु	प्रदाय की जाने वाली लगभग मात्रा
(1)	(2)	(3)
1.	दूध	500 मि.ली.
2.	विसंक्रमित दुग्ध/यूएचटी दुग्ध	500 मि.ली.
3.	मलाई/दही	200 ग्राम
4.	योगहर्ट/मीठा दही	500 ग्राम
5.	छेन्ना/पनीर/ खोया/श्रीखंड	250 ग्राम
6.	चीज/चीज प्रैड	200 ग्राम
7.	उद्वाष्पित दुग्ध/संघनित दुग्ध	200 ग्राम
8.	आइसक्रीम/साफ्टी/कुल्फी/आइसकैंडी/ आइसलोली	300 ग्राम
9.	दुग्ध चूर्ण / मखनिया दुग्ध चूर्ण	250 ग्राम
10	शिशु आहार/विनिंग आहार	500 ग्राम
11.	मल्ट आहार/माल्ट मिश्रित दुग्ध आहार	300 ग्राम
12.	मक्खन/मक्खन तेल/ घी/मरगरीन/ क्रीम/ बेकरी शार्टनिंग	200 ग्राम
13.	वनस्पति, खाद्य तेल/वसा	400 ग्राम
14.	कार्बोनेटेड जल	3 लीटर
15.	बेंकिंग पाउडर	100 ग्राम
16.	अरारोट/साबूदाना	250 ग्राम
17.	कार्नफलेक्स/मैकरोनी उतपाद/कार्न फ्लोर/कस्टर्ड पाउडर	200 ग्राम
18.	गर्म मसाले, और मिश्रित मसाले (साबुत)	500 ग्राम
19.	गर्म मसाले, मसाले और मिश्रित मसालों का (पाउडर)	500 ग्राम
20.	जायफल/जावित्री	250 ग्राम
21.	हींग	100 ग्राम
22.	संयोजित हींग	150 ग्राम
23.	केसर	20 ग्राम
24.	गुड़/जैगरी आइसिंग चीनी/ मुधु, सिंथेटिक सिरप, बूरा	250 ग्राम
25.	गन्ने की चीनी/परिष्कृत चीनी, चीनी क्यूब डेक्सट्रास, मिश्री, शुष्क ग्लूकोज सिरप	200 ग्राम
26.	कृत्रिम स्वीटनर	100 ग्राम

(1)	(2)	(3)
27.	फ्रूट जूस/फ्रूट ड्रिंक/फ्रूट स्कवैश	1 लीटर
28.	टमाटरसोस/कैचअप/टमाटोपेस्ट, जैम/ जेली/ मुरब्बा/टमाटो पूरी/शॉक सोस	300 ग्राम
29.	फल रहित जैली	200 ग्रांम
30.	आचार और चटनी	250 ग्राम
31.	तिलहन/नट्स/ड्राई फ्रूट्स	250 ग्राम
32.	चाय/भुनी हुई काफी/भुनी हुई चिकोरी	500 ग्राम
33.	तैयार चाय/तैयार काफी-चिकोरी मिश्रण	100 ग्राम
34.	शुगर कनफैक्शनरी/च्यूविंग गम/बब्बलगम	200 ग्राम
35.	चाकलेट्स	200 ग्राम
36.	खाद्य नमक	200 ग्राम
37.	आयोडाइजड नमक/लौहपुष्ट नमक	200 ग्राम
38.	खाद्यान्न और दालें (साबुत और विपाटित)	1 किलो ग्राम
39.	आटा/मैदा/सूजी/बेसन/अन्य मिल में तैयार उत्पाद/पौष्टिक और पुष्ट आटा/मैदा	500 ग्राम
40.	बिस्कुट और रस्कस	200 ग्राम
41.	बैड/केक्स/पेस्ट्री	250 ग्राम
42.	जिलेटिन	150 ग्राम
43.	कत्था	150 ग्राम
44.	सिरका/सिंथेटिक सिरका	300 ग्राम
45.	खाद्य रंग	25 ग्राम
46.	खाद्य रंग निर्मिति (ठोस/द्रव्य)	25 ग्राम ठोस/ 100 मि.ली. द्रव
47.	प्राकृतिक खनिज जल/पैक किया हुआ पेयजल	400 मि.ली., 3 न्यूतम मूलत: मोहर बंद पैक में
48.	चादी के वरक	2 ग्राम
49.	तैयार आहार	500 ग्राम
50.	प्रोपाइटरी आहार (गैर मानकीकृत आहार)	500 ग्राम
51.	डिब्बाबंद आहार	6 मोहरबंद डिब्बे
52.	वह आहार जो विनिर्दिष्ट नहीं है	500 ग्राम

2. परीक्षण या विश्लेषण के पश्चात् प्रेषक को इसका प्रमाणपत्र तुरंत प्ररूप 'ख' में प्रदान किया जाएगा ।

3. ऐसे प्रमाणपत्र के लिए संदेय फीस खाद्य प्राधिकरण द्वारा यथा विहित खाद्य विश्लेषण किए गए प्रति नमूने के लिए 1000/- रुपए होगी ।

4. ऐसे प्रमाणपत्र के लिए संदेय फीस प्रयोगशाला द्वारा इन विनियम के अधीन जारी किया गया प्रमाणपत्र निदेशक द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा ।

2901 GI/11-2

5. दुग्ध, क्रीम, दही, खोया या खोए के आधार वाली और पनीर के आधार वाली मिठाइयां जैसे कलाकन्द और बर्फी, चटनी और तैयार खाद्य और गुड़, काफी और आय की बाबत उपयोग किए गए परिरक्षी - द्रव का अर्द द्रव दूध (जिसके अंतर्गत टोण्ड सप्रेटा और मखनिया दूध आता है), मानकीकृत दूध, छैना, मखनिया दूध, छैना, क्रीम, आईस्क्रीम, मिश्रित आईस्क्रीम, आइसकैण्डी, दही, खोया या खोए के आधार वाली और पनीर के आधार वाली मिठाइयां जैसे कलाकंद और बर्फी, चटनी और तैयार खाद्य और गुड़, काफी और चाय के नमूनों के मामले में परिरक्षी ''फार्मलिन'' के रूप में सामान्यत: जाना जाने वाला द्रव अर्थात् ऐसा द्रव जिसके जलीय घोल में लगभग 40 प्रतिशत फार्मेल्डीहाइड हो, होगा, जिसका अनुपात 25 मि.ली. या 25 ग्राम के लिए 0.1 मि. लि. (दो बूंद) होगा।

परंतु आईस-क्रीम और मिश्रित आइस-क्रीम के नमूनों के मामलों में उपयोग किया जाने वाला परिरक्षी फार्मलिन के रूप में सामान्यत: जाना जाने वाला द्रव्य अर्थात् ऐसा द्रव्य जिसके जलीय घोल में लगभग 40 प्रतिशत फार्मेल्डीहाइड हो, होगा और जिसका अनुपात 100 मि.ली. या 100 ग्राम के लिए 0.6 मि.ली. होगा।

परन्तु यह और कि अनिर्धारित उत्पादों के मामले में, आहरित मात्रा का निर्धारण, खाद्य विश्लेषक के परामर्श से किया जाएगा।

प्ररूप क

(विनियम 2.2.2 देखें)

निर्देश खाद्य प्रयोगशाला द्वारा विश्लेषण का प्रमाण-पत्र

प्रमाण-पत्र सं----------

प्रमाणित किया जाता है कि नमूना, सख्यांक ---------- जिसका ----------का नमूना होना तात्पर्यित है, को तारीख----------को ज्ञापन सं., तारीख ----------से (न्यायालय का नाम)----------के विश्लेषण के लिए प्राप्त हुआ। आधान और रसीद के बाह्य आवरण पर मुहरों की स्थिति निम्नलिखित प्रकार से थी:

मैंने (निदेशक का नाम) नमूने को---------- खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद और खाद्य योगज) विनियम, 2011 के विनियम सं----------के अधीन आने वाले ---------- (खाद्य नमूने की श्रेणी) नमूने का पाया है । नमूना ऐसी स्थिति में था जो विश्लेषण के लिए उपयुक्त है और तारीख ----------(विश्लेषण के आरंभ और पूर्ण होने की तारीख दें) को विश्लेषित किया गया है और विश्लेषण का परिणाम नीचे दिया जाता है/ नीचे दिए गए कारणों से विश्लेषण करने के लिए उपयुक्त स्थिति में नहीं था*: -

कारण:

विश्लेषण की रिपोर्ट:-

(i) नमूने का वर्णन:-

(ii) भौतिक स्थिति:-

(iii) लेबल ----------

क्र. सं.	क्वालिटी विशेषताएं	परीक्षण के लिए प्रयुक्त पद्धति का नाम	परिणाम	निम्नलिखित के अनुसार विहित मानक:- (क) खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य, उत्पाद और खाद्य योगज) विनियम, 2011 के अनुसार (ख) सांपत्तिक खाद्य के लिए लेबल घोषणा के अनुसार (ग) उपरोक्त दोनों के लिए अधिनियम और विनियमों के उपबंधों के अनुसार
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				

विकल्प**

(हस्ताक्षर)

निदेशक, निर्देश खाद्य प्रयोगशाला

(मुहर)

स्थान: ----------

तारीख:

*जो लागू न हो उसे काट दें।

**जब राय और निर्वचन सम्मिलित हों, तो वे दस्तावेज दें जिन पर यह राय और निर्वचन आधारित है।

प्ररूप खः खाद्य विश्लेषक की रिपोर्ट

(2.3.1 का विनियम 9.2.1(पप) देखें)

रिपोर्ट सं----------

प्रमाणित किया जाता है कि खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006(2006 का 34) के उपबंधों के अधीन ----------के लिए(स्थानीय क्षेत्र का नाम) सम्यक् रूप से नियुक्त मैंने ----------(खाद्य विश्लेषक का नाम)----------से जिस पर कोड संख्यांक और क्रम संख्यांक है ---------- के क्षेत्र के अभिहित अधिकारी से तारीख----------(नमूना प्राप्त होने की तरीख) विश्लेषण के लिए नमूना प्राप्त किया ।

आधानों पर की मुहरें और रसीद का बाह्य आवरण निम्नलिखित प्रकार से था:-

---

मैंने नमूने को खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद और योगज) विनियम, 2011 के विनियम सं---------- के अंतर्गत आने वाला पाया है । नमूना** विश्लेषण के लिए उपयुक्त स्थिति में था और तारीख ----------को (विश्लेषण आरंभ करने और पूर्ण होने की तारीख दें) विश्लेषण किया गया और इसके विश्लेषण का निष्कर्ष नीचे दिया जाता है/ नीचे दिए गए कारणों से विश्लेषण के लिए उपयुक्त स्थिति में नहीं था :

कारण:

विश्लेषण की रिपोर्ट:-

(i) नमूने का वर्णन:-

(ii) भौतिक स्थित:-

(iii) लेबल ----------

क्र. सं.	क्वालिटी विशेषताएं	परीक्षण के लिए प्रयुक्त पद्धति का नाम	परिणाम	निम्नलिखित के अनुसार विहित मानक:-
				(क) खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद और खाद्य योगज) विनियम, 2011 (ख) सांपत्तिक खाद्य के लिए लेबल घोषणा के अनुसार (ग) उपरोक्त दोनों के लिए अधि नियम, नियम और विनियमों के उपबंधों के अनुसार

विकल्प**

तारीख ----------, 20---को हस्ताक्षर किए गए ।

(हस्ताक्षर)

निदेशक, निर्देश खाद्य प्रयोगशाला

पता:

* प्रेषिती का ब्यौरा दें

** जो लागू न हो उसे काट दें

*** जब राय और निर्वचन सम्मिलित हो, तो वे दस्तावेज दें जिन पर पर राय/निर्वचन आधारित है ।

वी. एन. गौड़, मुख्य कार्यकारी अधिकारी

[विज्ञापन III/4/187-ओ/11/असा.]

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(Food Safety and Standards Authority of India)

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st August, 2011

F.No. 2-15015/30/2010 whereas in exercise of the powers conferred by clause (q) of sub section (2) of section 92 read with section 40 and 43 of Food Safety and Standards Act, 2006 (34 of 2006) the Food Safety and Standards Authority of India proposes to make Food Safety and Standards Regulations in so far as they relates to Food Safety and Standards (Laboratory and Sample Analysis) Regulations, 2011, and;

Whereas these draft Regulations were published in consolidated form at pages 1 to 776 in the Gazette of India Extraordinary Part III – Sec. 4 dated 20th October 2010 inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby before the expiry of the period of thirty days from the date on which the copies of the Gazette containing the said notification were made available to the public;

And whereas the copies of the Gazette were made available to the public on the 21st October 2010;

And whereas objections and suggestions received from the stakeholders within the specified period on the said draft Regulations have been considered and finalized by the Food Safety and Standards Authority of India.

Now therefore, the Food Safety and Standards Authority of India hereby makes the following Regulations, namely,—

FOOD SAFETY AND STANDARDS (LABORATORY AND SAMPLE ANALYSIS) REGULATIONS, 2011

CHAPTER 1

GENERAL

1.1: Short title and commencement-

1.1.1: These regulations may be called the Food Safety and Standards (Laboratory and Sample Analysis) Regulations, 2011.

1.1.2: These regulations shall come into force on or after 5th August, 2011

1.2: Definitions-

1.2.1: In these regulations unless the context otherwise requires:

1. "Notified laboratory" means any of the laboratories notified by the Food Authority under sub-sections (1) and (2) of section 43 of the Act.

2. "Referral laboratory" means any of the laboratories established and/or recognized by the Food Authority by notification under sub section (2) of section 43 of the Act.

2901 GI/11-3

CHAPTER 2

LABORATORY AND SAMPLE ANALYSIS

2.1: Notified Laboratories for Import

2.1.1 The sample of any imported article will be sent by the Authorized Officer for analysis. The Food Analyst of any of the following notified laboratories or any other laboratories notified by the Food Authority from time to time. having jurisdiction over the area in which the sample was taken.

Sl No.	Name of the laboratories	Local Areas
1.	Central Food Laboratory, Kolkata	1. All Seaports/Airports/inland Container Depots in the Union Territories/ States of - (i) The Andaman and Nicobar Islands (ii) Andhra Pradesh (iii) Arunachal Pradesh (iv) Assam (v) Bihar (vi) Manipur (vii) Meghalaya (viii) Mizoram (ix) Nagaland (x) Orissa (xi) Sikkim (xii) Tripura (xiii) West Bengal and (xiv) Jharkhand 2. International borders in the States of - (i) Arunachal Pradesh (ii) Assam (iii) Bihar (iv) Manipur (v) Meghalaya (vi) Mizoram (vii) Nagaland (viii) Sikkim (ix) Tripura (x) West Bengal
2.	Central Food Laboratory, Ghaziabad	1. All Airports / inland Container Depots in the Union Territories/ States of - (i) Chandigarh (ii) Delhi (iii) Haryana (iv) Himachal Pradesh (v) Jammu and Kashmir (vi) Madhya Pradesh (vii) Punjab (viii) Rajasthan (ix) Uttar Pradesh (x) Chhattisgarh (xi) Uttarakhand 2. All International borders in the States of (i) Himachal Pradesh (ii) Rajasthan (iii) Jammu and Kashmir (iv) Punjab (v) Uttar Pradesh (vi) and Uttarakhand
3.	Central Food Laboratory, Mysore	All Airports/ Sea ports/inland Container Depots in the Union territories State of (i) Karnataka, (ii) Kerala, (iii) Lakshadweep, (iv) Puducherry and (v) Tamil Nadu
4.	Central Food Laboratory, Pune	1. All Airports/ Sea ports/inland Container Depots in the Union Territories/ States of (i) Dadra and Nagar Haveli (ii) Daman and Diu (iii) Goa (iv) Gujarat and (v) Maharashtra 2. All International borders in the States of (i) Gujarat

2.2: Referral Laboratory

2.2.1: Functions- In addition to the functions entrusted to it under the Act, the Referral Laboratory shall carry out the following functions, namely:

1) analysis of samples of food sent by any officer or authority authorized by the Food Authority for the purpose and submission of the certificate of analysis to the authorities concerned;

2) investigation for the purpose of fixation of standard of any article of food;

3) investigation in collaboration with the laboratories of Food analysts in the various States and such other laboratories and institutions which the Food Authority may approve on its behalf, for the purpose of standardizing methods of analysis.

4) ensuring that the laboratory follows the scientific protocols laid down for handling/testing the articles of food.

5) maintaining high standards of accuracy, reliability and credibility in the operation of the laboratory and achieving and maintaining the required levels of accreditation and reliability.

6) laying down mechanism for ensuring that personnel of the laboratory adhere to high professional standards and discipline.

7) Such other conditions, as the Authority may lay down for Referral Laboratories.

8) Capacity building by way of organizing professional training, workshops and seminars for the Food analyst, laboratory personnel in the states specified by the Food authority.